(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI-110 054

Dated: 07.11.2017

NOTIFICATION

No. 8(36)/2016/DAM/MR/ 2978 In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to nominate the following persons to be the members of the Agricultural Produce Marketing Committee, Market of National Importance, Azadpur, Delhi, namely:-

(A) THREE NOMINATED AGRICULTURISTS RESIDING IN DELHI

 Sh. Rahul Yadav S/o Sh. Jai Narayan Yadav - Member H.No. 6, Near Madan Market, Libaspur, Delhi-110042.

Sh. Ishwar Rana S/o Balbir Rana - Member H.No. 365 Main Lambi Gali, Shahbad Daulatpur, Delhi-110042.

Sh. Gopi Singh Parmar
 S/o Late Sh. C.R. Parmar,
 H.No. 144, Village and P.O. Hiranki,
 Delhi-110036.

(B) THREE ELECTED TRADERS & COMMISSION AGENTS

- Sh. Anil Malhotra, Member 1464/65, Pujabi Mohalla, Subzi Mandi, Ghantaghar, Delhi-110007.
- 2. Sh. Bhajan Singh, Member A-356, New Subzi Mandi, Azadpur, Delhi-110033.
- 3. Sh. Amit Kumar Gupta, Member CC-26B, Shalimar Bagh, Delhi-110088.

Source

(C) REPRESENTATIVE OF THE DELHI AGRICULTURAL MARKETING BOARD

Sh. Adeel Ahmad Khan
 2/9A, 2nd Floor, Jangpura-A, Delhi.

Member

Member

(D) THE DIRECTOR (AM) or his nominee

Ex-officio Member

(F) THE SECRETARY OF THE MARKETING COMMITTEE

Ex officio Member-Secretary

(G) REPRESENTATIVE OF THE AGRICULTURAL MARKETING ADVISOR TO THE GOVT. OF INDIA

The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi further directs that the members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of publication of their names in the official gazette. They shall hold office for a term of five years as provided under section 29 of the said Act.

The Lt. Governor, in exercise of powers conferred by section 28 of the said Act, is further pleased to nominate Sh. Adeel Ahmad Khan, the member, as Chairman of the said Marketing Committee.

The Notification No. 8(36)/2010-DAM/MR/478 dated 16.02.2012 and Notification No. 8(16)/2013/DAM/MR/8180 dated 04.10.2013 are hereby superseded.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(SAKSHI MITTAL) JOINT SECRETARY (AM) GOVT. OF NCT OF DELHI No. 8(36)/2016/DAM/MR/ 2979-2992 Dated: 07.11.2017

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- 2 The Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- 4 The Pr. Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
- 9 The Chairman, Vice Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra-Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruits & Vegetable Market), Gazipur, Delhi, Fish Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
- 13 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.

14 Guard file.

(SAKŠHI MITTAL) JOINT SECRETARY (AM) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांक : 07.11.2017

अधिसूचना

सं० 8(36)/2016/डीएएम/एम आर/ २१७४ दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम,1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं० ७), की धारा २७ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एतद् द्वारा निम्निलिखित व्यक्तियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति, राष्ट्रीय महत्व की मंडी, आजादपुर, दिल्ली के सदस्य नामित करते हैं, अर्थात:-

(क) दिल्ली में रहने वाले तीन मनोनित कृषक

श्री राहुल यादव सु० स्वै० श्री जय नारायण यादव
म.न. ६, नजदीक मदन मार्किट लिवासपुर, दिल्ली—110042.
 श्री ईश्वर राणा, सु० श्री बलबीर राणा
म.न. 365, मेन लम्बी गली, शाहबाद दौलतपुर,दिल्ली—110042.
 श्री गोपी सिंह परमार, सु० स्व० श्री सी.आर. परमार
म.न. 144, गांव व डाकखाना हिरनकी, दिल्ली—110036.

(ख) तीन निर्वाचित व्यापारी और कमीशन एजेंट

- श्री अनिल मल्होत्रा, सदस्य 1464/65 पंजाबी मौ0 सब्जी मण्डी घंटा घर, दिल्ली-110007.
 श्री भजन सिंह, सदस्य ए-356, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली-110033.
- श्री अमित कुमार गुप्ता, सदस्य सीसी–26बी, शालीमार बाग, दिल्ली–110088.



- (ग) दिल्ली कृषि विपणन परिषद् के प्रतिनिधि
- श्री आदिल अहमद खान
 2/9ए, द्वितीय तल, जंगपुरा-ए, दिल्ली.

सद्

- (घ) निदेशक (कृषि विपणन) या उनके द्वारा मनोनीत
- पदेन सदस्य

(च) विपणन समिति के सचिव

- पदने सदस्य-सचिव
- (छ) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार के प्रतिनिधि
- सदस्य

उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आगे निर्देश करते हैं कि उक्त विपणन समिति के सदस्य अपना कार्यालय—प्रभार, सरकारी गजट में उनके नाम प्रकाशित होने की तिथि से ग्रहण करेंगे। कथित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधान के अंतर्गत वे पांच वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे।

उप राज्यपाल अधिनियम की धारा 28 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ श्री आदिल अहमद खान, सदस्य, को सहर्ष समिति का अध्यक्ष मनोनित करते हैं।

दिनांक 16.02.2012 की अधिसूचना सं0 8(36)/2010—डीएएम/एमआर/478 एवम दिनांक 04.10.2013 की अधिसूचना सं0 8(16)/2013/डीएएम/एमआर/8180 एतद द्वारा रदद की जाती हैं।

उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

> (साक्षी मित्तल) सयुक्त सचिव (कृ0वि०)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0 8(36)/2016/डीएएम/एम आर/2979-2582

दिनांक : 07.11.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली,
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,दिल्ली।
- 11 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर, शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।

१४ गार्ड फाईल।

मार्स

(साक्षी मित्तल) सयुक्त सचिव (कृ0वि०) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार